प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :- **जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईंथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम सूखी-भलगांव को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 1754 (1)/ III-2/05-64 (प्रा0आ0)/2005 दि0 16.11.2005 द्वारा 5.00 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 72.00 लाख के आगणन पर टोकन मनी के रुप में रु0 0.10 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके विरुद्ध मात्र 1.738 हे0 मक डिस्पोजल सहित वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड जोशीमठ में सीमान्त पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम सूखी, भलगांव हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त संरेखण में ग्रमवासियों की पूर्ण सहमति प्राप्त है।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं0 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नही कर सकता है। क्योंकि संरेखण नं0 2 में अधिक वन सम्पदा का नुकसान होने के साथ ही एच0पी0 बैण्डों की संख्या भी अधिक आ रही है, जिस कारण मार्ग एवं गांव के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः प्रस्तावित संरेखण नं0 1 उपयुक्त है, इस संरेखण में 1.738 हे0 में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जा रहा है, मार्ग का निर्माण 6.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः 5.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग मार्ग निर्माण हेतु 1.738 हे0 सिविल/वन पंचायत वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता** **प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,** **गोपेश्वर**